

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

प्रारूप-6

(नियम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

## कार्यालय आदेश

निम्नांकित कार्मिक का निधन उनके नाम सामने अंकित दिनांक को हो चुका है। अतः निम्नांकित की सेवाएँ के नाम के सामने अंकित दिनांक से समाप्त की जाती है।

क्रम	नाम कार्मिक	विषय	पदस्थापन स्थान राउमावि/राबाउमावि	जन्मतिथि	मृत्यु दिनांक
1	बलवीर सिंह	इतिहास	वारौली-वैर-भरतपुर	09.07.1971	26.04.2019
2	बनवारी लाल	इतिहास	घांघू-चूरु	25.08.1960	29.03.2019

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित के विरुद्ध आज तक :-

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(नथमल डिडेल)

आईएस

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

दिनांक- 20/05/19

क्रमांक शिविरा-माध्य/संस्था/सी-2/31854/सेवासमाप्ति/17-18

प्रतिलिपि:-प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- 1 संबंधित संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग,
- 2 सम्बन्धित सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
- 3 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक-स्कूल शिक्षा, भरतपुर/चूरु
- 4 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय) स्कूल शिक्षा
- 5 सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समसा
- 6 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्युटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अद्यतन करने हेतु।
- 7 संबंधित शाला/संस्था प्रधान, राउमावि, वारौली-वैर-भरतपुर/ घांघू-चूरु को अतिरिक्त प्रति के साथ पाबंद किया जाता है कि संबंधित कार्मिक के उत्तराधिकारी को प्रति उपलब्ध करा पावती भिजवावें।(रजिस्टर्ड)
- 8 अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/एसीआर/एबी/वि.जांच/सीओएसी प्रभाग/शाला दर्पण कार्यालय हाज
- 9 निजी/रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

**कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर**

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/सेवा-समाप्ति/2018

दिनांक- 20.05.2019

**कार्यालय आदेश**

श्री तुलसीदास मेघवाल, प्राध्यापक हिन्दी, राउमावि घाट का बराना, बून्दी जिनकी जन्म तिथि:- 15.07.1982 है, का निधन दिनांक :- 01.04.2019 को हो चुका है। अतः श्री तुलसीदास मेघवाल प्राध्यापक (हिन्दी) की सेवायें दिनांक :- 01.04.2019 से समाप्त की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्री तुलसीदास मेघवाल, के विरुद्ध मृत्यु दिनांक तक

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।



(नथमल डिडेल)  
आई.ए.एस.  
निदेशक


माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/सेवा-समाप्ति/2018

दिनांक- 20/5/2019

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित -

1. निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान, जयपुर
2. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
3. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय मा.शि.
4. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड हेत
5. संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
6. प्रधानाचार्य राउमावि घाट का बराना बून्दी
7. अनुभाग अधिकारी, वरिष्ठता/संस्थापन ए.बी/हितकारी निधि कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि श्री मेघवाल आर.पी.एस.सी-13 द्वारा चयनित प्राध्यापक हिन्दी थे ।
8. आश्रित स्व. श्री तुलसीदास मेघवाल, प्राध्यापक हिन्दी, राउमावि घाट का बराना बून्दी
9. निजी एवं रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## सेवानिवृति आदेश

(नियम-78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

निम्नांकित राज्य कार्मिक जो राज्य सेवा में कार्यरत है को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर लेने पर (सेवानिवृति की तारीख) से, सरकारी सेवा से कॉलम संख्या-6 की दिनांक से सेवानिवृत्त किया जाता है।

क्रम	कार्मिक का नाम श्री / सुश्री / श्रीमती	पदस्थापन स्थान (राजमावि / राबाजमावि)	व्याख्याता विषय	DOB DD/MM/YYYY	अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृति तिथि
1	RATAN LAL JAIN	GOVT. Hr. SEC. SCHOOL DEI -NAINWA -BUNDI (08230315540)	COMM	17/07/1959	31/07/2019
2	GOPAL LAL SHARMA	DOULATGADH- AASIND- BHILWARA	COMM	01/07/1959	30/06/2019
3	MADAN MOHAN GUPTA	VAZEERPUR- S.MADHOPUR	COMM	05/03/1960	31/03/2020
4	RAMAVTAR SINGH	CHURI AJITGARH-JHUNJHUNU	COMM	05/12/1959	31/12/2019
5	RADHA RAMAN SHARMA	MUNSEPUR- KAMAN- BHARATPUR	HIST	01/07/1959	30/06/2019
6	VIJAY PANWAR	GOVT.RAJASTHAN SR.SEC.BAJAJ NAGAR SCHOOL JAIPUR(08122605303)	COMM	06/05/1959	31/05/2019
7	POKHAR MAL	GOVT. ADARSH SR.SEC.SCH. SHISHU RANOLI SIKAR (08130507215)	COMM	09/06/1959	30/06/2019
8	BAJRANG LAL	GOVT.GIRLS SR.SEC.SCH., BAJAJ ROAD SIKAR (08130512201)	COMM	15/07/1959	31/07/2019
9	DASHRATH PAL SHARMA	GOVT.SR.SEC.SCH.,KUMHER- BHARATPUR	COMM	19/12/1959	31/12/2019
10	SURAJMAL RAIGAR	KISHANGARH-RENWAL- JAIPUR	COMM	13/06/1959	30/06/2019
11	SATYA VEER SINGH TANWAR	GOVT.SEN.SEC.SCHOOL MUNDIA RAMSAR (08120903103) JAIPUR	COMM	06/03/1960	31/03/2020

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित क्रम संख्या 05 राधा रमण शर्मा, विरुद्ध सीसीए-16 में ज्ञापन जारी है, के अलावा निम्न के विरुद्ध आज तक-

- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

वास्तविक सेवानिवृति तिथि से पूर्व किसी प्रकार की विपरीत परिस्थिति उत्पन्न होती है तो सम्बन्धित संस्था प्रधान नियमानुसार कार्यवाही करते हुए इस कार्यालय को अविलम्ब सूचित करें।

  
(नथमल डिलेल)

IAS  
निदेशक  
माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक- शिविरा-माध्य/संस्था/सी-2/सेनि/इति-वाणि/31853/2019-20

दिनांक- 20 मई, 2019

प्रतिलिपि:-प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग,
- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावायी निधि विभाग,
- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक-स्कूल शिक्षा
- सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
- सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अद्यतन करने हेतु।
- सम्बन्धित संस्था प्रधान/प्रधानाचार्य को निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित व्याख्याताओं से कोई न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, का दस रुपये के स्टाम्प पर निर्धारित प्रपत्र-6 प्राप्त कर अंतिम अदेय प्रमाण पत्र नियमानुसार जारी करें, साथ ही शाला दर्पण को अद्यतन करें।
- सम्बन्धित व्याख्याता
- रक्षित पत्रावली

  
संयुक्त निदेशक(कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर